

तारीख
रुक्म

रुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

अधिकारी
की तारीख

22.02.2024 फत्वाली पेश हुई। जिला अतिरिक्त सचिव, बालोतरा के
सहस्र न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही में उपस्थिति
नहीं देने के आह्वान पर पत्रकार अधिवक्ता उपस्थित
नहीं हुए हैं। पीठासीन अधिकारी मुख्य्यालय से वास्तु
चुनान इशारेण कार्यक्रम जयपुर पत्राचार है। फत्वाली
वास्तु विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 21.03.2024
को पेश हो।

21.03.2024 दोनो पत्रों के अधिवक्ता (आरक्षित) विभाजन प्रस्ताव
प्राप्त नहीं हुआ है। जो स्मरण-पत्र जारी होकर फत्वाली
वास्तु विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हो। अन्यथा
दिनांक 12.06.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

12.06.2024 अधिकारन के अधिवक्ता उप./अनु/पीठासीन
अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है।
फत्वाली वास्तु विभाजन प्रस्ताव
दिनांक 15.07.2024 को पेश है।

15/7/24 दोनो पत्रों के अधिवक्ता उपस्थित
विभाजन प्रस्ताव की रिपोर्ट प्राप्त है। जो
आपसे प्राप्त हो। विभाजन प्रस्ताव की रिपोर्ट
अनुसार विवादाधीन आवासीय की खतराओं द्वारा
आपकी पहचान के आधार पर अंदाजा
फत्वाली के माता जी के एक छोटा सा
हेतुव की पहचान है जहाज से चुका है।
हैस दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने
के कारण अभी रजिस्ट्रार पर खारिज किया
जाता है।

फत्वाली फाकल कुशल के मा दारिद
(अनु) हो।

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा (S.D.O.) बालोतरा

(S.D.O.) बालोतरा

